न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 48/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. जैसाराम पुत्र रामदयाल जाति गूजर निवासी ग्राम खेडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:------ अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार लैंड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर

:------ रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,किशनगढबास दिनांक 28.2.2012

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 20.12.2017

--/---- ----------

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कि शनगढबास द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 253/10 उनवान जैसाराम बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय दिनांक 28.2.12 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 627 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास को वादी गत 20 सालों से काश्त करता आ रहा है, जिसका अंकन सम्वत 2050 से आज तक हो रहा है । वादी पैनेल्टी अदा कर रहा है । जमाबन्दी सम्वत 2032 में उक्त आराजी की किस्म बंजड दर्ज थी, जिसकी किस्म को इन्तकाल नम्बर 16 में परिवर्तित किया गया एवं नामांतरकरण संख्या 59 किस्म परिवर्तन

का माननीय उपखंड अधिकारी के आदेश दिनांक 31.10.77 के अनुसार इन्द्राज किया गया । उक्त नामान्तकरण संख्यास 59 से भूमि सिवायचक लगानी दर्ज है । किन्तु उक्त नामांतरकरण का निर्णय जब तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.4.78 को किया गया था तो जमाबन्दी सम्वत 2036 के खाना संख्या 07 में मृदा वर्गीकरण में सिवायचक लगानी के स्थान पर गैर मुमकिन रेडा दर्ज कर दिया गया , जो खिलाफ कानून एवं मौका है । अतः दावा डिकी किया जावे । तहत न्यायालय ने उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि जब प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर दिया गया था तो तहत न्यायालय को चाहिये था कि तनकियात कायम करे और फिर तनकीवार निर्णय पारित करें, जैसा कि आदे श 20 नियम 5 सी0 पी0 सी0 में प्रतिपादित किया गया है । । मैंने दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वाद पत्र को साबित कराया है, फिर भी गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया गया ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि विवादित भूमि पर काश्त नहीं की गई थी । इस पर छोटी छोटी झाडियां खडी हुई थी और इन छोटी छोटी झाडियों वाले जंगलों को राडा कहा जाता है । मौके के अनुसार सही तौर पर रेकार्ड में भूमि को गैर मुमकिन रेडा दर्ज किया गया है । तहत न्यायालय का निर्णय सही है । अतः अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । जमाबन्दी सम्वत 2032 एग्जिविट –1 में विवादित भूमि की किस्म बंजड दर्ज है तथा सम्वत 2036 में गैर मुमकिन रेडा दर्ज है । यह गैर मुमकिन रेडा का इन्द्राज नामांतरण संख्या 59 के आधार पर दर्ज हुआ है, जो एक विशेष आदेश है । अतः अपीलांट का यह कथन कतई मानने योग्य नहीं है कि सम्वत 2036 में गलत तौर पर भूमि वर्गीकरण में गैर मुमकिन गैर मुमकिन रेडा दर्ज कर दिया गया । अपीलांट के इस कथन के खंडन में हमारा विनम्र मत है कि सम्वत 2036 में जो गैर मुमकिन रेडा का इन्द्राज किया गया था, वह इन्तकाल नम्बर 59 के आधार पर किया गया था, जो एक विशेष आदेश था । अगर अपीलांट इस आदेश से व्यथित था तो उसे सक्षम न्यायालय में इसकी अपील करनी चाहिये थी । मौजूदा प्रकरण में उसने इन्द्राज दुरूस्ती चाही है, जो उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में देय नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.2.2012 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner